एक नजर में

जिले में अब तक 230 मिमी औसत वर्षा दर्ज

गुना। जिले में मानसून की सक्रियता के साथ ही बारिश का दौर जारी है। चालू चालू वर्षा सत्र में 1 जून से 6 जुलाई 2026 की सुबह तक जिले में कुल 230.3 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है, जो कि यहां की सामान्य बारिश का 21.9 प्रतिशत है। भू-अभिलेख अधीक्षक से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिले की कुल सामान्य औसत वर्षा 1053.5 मिलीमीटर है, जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 354.3 मिलीमीटर औसत वर्षा रिकॉर्ड की गई थी। पिछले 24 घंटों के दौरान जिले में 18.9 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। इस अवधि में वर्षामापी केंद्र चांचौड़ा में सर्वाधिक 28.0 मिमी और राघौगढ़ में 27.0 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा आरोन में 20.0 मिमी, मक्सूदनगढ़ में 18.0 मिमी, कुंभराज में 17.0 मिमी, गुना मुख्यालय पर 16.5 मिमी तथा बमौरी में 6.0 मिमी वर्षा दर्ज हुई। 1 जून से अब तक के कुल आंकड़ों में कुंभराज केंद्र 358.0 मिमी बारिश के साथ जिले में सबसे आगे है।

चयन ट्रायल आज

गुना। मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी और हॉकी फीडर सेंटर में प्रवेश के लिए कल यानी 7 जुलाई 2026 को गुना में एक विशेष प्रतिभा चयन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह चयन प्रक्रिया गुना के संजय स्टेडियम स्थित हॉकी एस्ट्रोटर्फ मैदान पर संपन्न होगी। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार, खिलाड़ियों के हुनर को परखने और उनका चयन करने के लिए भोपाल से विशेषज्ञ अधिकारियों की एक टीम विशेष रूप से गुना आई।

खाकी का खौफ : आधी रात को घर में घुसी पुलिस

दरवाजे पर लात मारी, बिना वारंट बेटों को उठाया, बेकसूर मांझी परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार

फल का ठेला लगाने वाले मेहनतकश परिवार का आरोप— थाने के बिना कैमरे वाले कमरे में की बेरहमी से मारपीट; झूठे मामले में फंसाने की दी जा रही धमकी

नवभारत न्यूज

गुना 6 जुलाई का। कैंट थाना क्षेत्र में खाकी की प्रताड़ना और कथित तानाशाही का एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक फल का ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले सीधे-साधे और मेहनतकश परिवार ने पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

पुलिस के कथित आतंक से भयभीत पूरा मांझी परिवार महिलाओं और बच्चों सहित पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय पहुंचा और शिकायती आवेदन देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्यवाही की मांग की। पीड़ितों का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार किया जैसे वे किसी बड़े और खूंखार अपराधी का परिवार हों। पीड़ित रामू मांझी ने अपनी शिकायत में बताया कि गत 3 जुलाई 2026 की रात करीब 12:30 बजे अचानक 4 से 5 पुलिसकर्मी उनके घर धमक पड़े। पुलिसकर्मियों ने बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए घर के दरवाजे पर जोर-जोर से लात मारी और जबरन भीतर घुस गए। उस समय घर में परिवार की बहुएं सो रही थीं, जो अचानक हुई इस पुलिसिया दबिश से बुरी तरह सहम गईं और डर के मारे रोने-बिलखने लगीं। महिलाओं के लगातार रोने और मिन्नतें करने के बाद भी पुलिसकर्मियों का दिल नहीं पसीजा और वे रामू मांझी के दोनों बेटों को जबरन घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाकर ले गए।

बिना वारंट और एफआईआर के 'वारंट' का झूठा बहाना

शिकायत के मुताबिक, जब पीड़ित परिवार ने आधी रात को इस तरह उठाए जाने का कारण पूछा, तो पुलिसकर्मियों ने कहा कि रामू मांझी के बड़े भाई गुरुदयाल मांझी का स्थाई वारंट है। जबकि असलियत यह है कि गुरुदयाल मांझी के नाम पर न तो कोई वारंट जारी हुआ था और न ही उनके खिलाफ किसी थाने में कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज है। स्वयं गुरुदयाल मांझी भी महिलाओं के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके पास आज तक थाने से कोई समंस या नोटिस नहीं आया और न ही उनकी जानकारी में उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है।

सीसीटीवी विहीन कमरे में ले जाकर की बेरहमी से मारपीट

पीड़ितों का आरोप है कि पुलिसकर्मी रामू मांझी और उनके बेटों को थाने ले गए। वहां उन्हें जानबूझकर एक ऐसे गुप्त कमरे में बंद किया गया जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, ताकि पुलिस की बर्बरता का कोई वीडियो साक्ष्य रिकॉर्ड न हो सके। उस कमरे में उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी आरोप लगा रहे थे कि रामू और उनके परिवार ने किसी 'लक्ष्मीनारायण' नामक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है। इस आरोप पर रामू मांझी ने वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि उक्त पुलिसकर्मी लक्ष्मीनारायण अक्सर उनके फल के ठेले पर आता है और बदतमीजी करता है। वह रसूख दिखाकर लगातार मुफ्त (फ्री) में फल और सामान देने का दबाव बनाता है, जिसका विरोध करने पर वह रंजिश रखने लगा था और इसी कारण उसने पुलिसिया प्रभाव का दुरुपयोग कर उनके परिवार को प्रताड़ित करवाया।

दोषी पुलिसकर्मियों पर हो सख्त कार्यवाही

एसपी कार्यालय पहुंचे पीड़ित मांझी परिवार ने बेहद भावुक शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा कि वे सभी मेहनत-मजदूरी और फल का ठेला लगाकर अपना पेट पालते हैं। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि यदि वे किसी भी स्तर पर गलत पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए, लेकिन यदि वे पूरी तरह निर्दोष हैं—जैसा कि वे हैं—तो पद का दुरुपयोग कर आधी रात को तांडव मचाने वाले और बिना कैमरे वाले कमरे में मारपीट करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जाएं।

डूब क्षेत्र में गई जमीन को वापस लेने तालाब पर कब्जे की कोशिश

नवभारत न्यूज

गुना। म्याना क्षेत्र के मगरदा में बने सरकारी तालाब पर अवैध कब्जे और उसकी भराव क्षमता को नुकसान पहुंचाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। सोमवार को डूंगासरा, मिनखूयाई, सगोरिया, चतराई और लहरकोता गांवों के बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल से लिखित शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि साल 2011 में मगरदा क्षेत्र में इस तालाब का निर्माण किया गया था। इसके लिए डूंगासरा गांव के कई किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आई थी, जिसका सरकार द्वारा उन्हें नियमानुसार उचित मुआवजा भी दे दिया गया था। इस तालाब से वर्तमान में आधा दर्जन गांवों की हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो रही है। शिकायत के अनुसार, जिन लोगों को जमीन के बदले मुआवजा मिल चुका है, अब उनकी नियत खराब हो रही है। वे लोग तालाब की जमीन को वापस हथियाने के लिए उसमें मिट्टी और मुरम डालकर भराव कर रहे हैं, ताकि जमीन समतल हो जाए और वे उस पर दोबारा खेती कर सकें। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कलेक्टर ने कहा कि वे जल्द ही एक प्रशासनिक टीम को मौके पर जांच के लिए भेजेंगे। यदि जांच में किसी भी व्यक्ति द्वारा तालाब की जमीन पर अवैध भराव या कब्जा करने की बात सही पाई जाती है, तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

'सेफ क्लिक 2.0' जागरुकता रथ को दिखाई हरी झंडी

गुना। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा साइबर अपराधों पर लगाम लगाने और आम जनता को जागरूक करने के लिए 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को गुना पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर से एक विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रथ जिले के शहरी और ग्रामीण अंचलों में भ्रमण कर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के उपाय सिखाएगा। जागरूकता रथ को गुना एसपी हितिका वासल ने रवाना किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों से डिजिटल युग में सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि ऑनलाइन भुगतान करते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि थोड़ी सी सतर्कता बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि घबराने के बजाय तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। समय पर सूचना देने से ठगी गई राशि के बैंक खातों में ब्लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है।

शहर में दिन के समय भारी मालवाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध

गुना। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी किशोर कुमार कन्याल ने बड़ा कदम उठाया है। मोटरयान अधिनियम की धारा 115 व 116 के तहत जारी आदेश के अनुसार, अब गुना नगर क्षेत्र में 7.05 टन से अधिक भार क्षमता वाले भारी मालवाहनों का प्रवेश दिन के समय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। भारी वाहनों को केवल प्रतिदिन रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही शहर की सीमा में प्रवेश की छूट रहेगी। आदेश के तहत होटल सामरसिंघा, मंडीगेट, हनुमान चौराहा और बूढ़े बालाजी जैसे मुख्य मार्गों से भारी वाहन शहर के भीतर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। हालांकि, स्कूल बस, दूध, पेट्रोल-डीजल, एलपीजी गैस आपूर्ति और शासकीय कार्य में लगे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का प्रवेश भी सुबह 11 से रात्रि 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 5 अगस्त 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

(अंकित जैन)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड चांचौड़ा, जिला-गुना (म.प्र.)

दयाराम माली बनाम विलकिश बानो
आगामी दिनांक : 21-07-2026

प्रेषिती-
विलकिश बानो पत्नि मोहम्मद इलियास खांन वार्ड क्रं-1 उप्रेटी मोहल्ला चांचौड़ा, जिला गुना (म.प्र.)

यह कि प्रार्थी दयाराम माली ने आपके विरूद्ध आरसीएस ए/74/2024 के लिए वाद संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में सूचना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात /हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते है, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें।

यह आज तारीख 16-06-2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

न्यायाधीश
अंकित जैन
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड

कार्यालय विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, गुना (म.प्र.)

पंजीयन क्रमांक: DR/GNA/18 दिनांक: 12/06/1 72
क्रमांक: 13/2026 गुना, दि-14.06.2026

आम सूचना / सार्वजनिक चेतावनी पत्र

एतद द्वारा विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, गुना के समस्त सम्मानित एवं व्यतिक्रमी (डिफॉल्टर) सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था द्वारा पूर्व में जारी व्यक्तिगत सूचना पत्रों दिनांक 30/03/2026 एवं 15/04/2026 के अनुक्रम में यह अंतिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जा रही है।

संस्था के कई सदस्यों द्वारा लंबे समय से अपने आवंटित भूखंडों (प्लॉट) की बकाया राशि, प्रीमियम, विकास शुल्क एवं रखरखाव (मेंटेनेंस) निधि जमा नहीं कराई गई है, जिससे संस्था के विकास कार्य पूरी तरह से अवरुद्ध हो रहे हैं। तथा आप संस्था में लंबे अर्से से संस्था के शोध्यों का भुगतान में लगातार चूक करने से व्यतिक्रमी (डिफॉल्टर) सदस्य बने हुए हैं अतः इस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त डिफॉल्टर सदस्यों को अंतिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे इस सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर संस्था कार्यालय में उपस्थित होकर अपनी समस्त बकाया राशि, नियमानुसार 2 प्रतिशत ब्याज सहित अनिवार्य रूप से जमा कर रसीद प्राप्त करें।

समय-सीमा समाप्त होने पर की जाने वाली वैधानिक कार्यवाही:

1. निर्धारित समयावधि में राशि जमा न करने पर संस्था द्वारा संबंधित सदस्य का भूखंड (प्लॉट) आवंटन तत्काल प्रभाव से वेष्ठित/निरस्त (Cancel) कर अन्य पात्र सदस्यों को आवंटित कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं सदस्य की होगी।
2. विशेष वैधानिक नोट: संस्था की बिना पूर्व लिखित अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के किसी भी सदस्य द्वारा भूखंड/भवन का किसी अन्य को क्रय-विक्रय (बना) किया जाना पूर्णतः अवैध व शून्य होगा। ऐसा करने पर शासन/प्रशासन या संस्था द्वारा की जाने वाली दंडात्मक कानूनी कार्यवाही एवं समस्त जोखिम/हानि के लिए क्रय-विक्रय कर्ता (क्रेता-विक्रेता) स्वयं जिम्मेदार होंगे।

स्थान: गुना (म.प्र.)

(प्रबंधक)
विवेक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, गुना (म.प्र.)